मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल दिनांक 21/08/2025

-:आदेश:-

क्रमांक/1/1/41/0010/2025-ED-ESTB-CTD/E-717340:-राज्यशासन एतद्द्वारा कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य) जिला डिण्डोरी के द्वारा जारी स्थानांतरण/युक्तियुक्तकरण/पदस्थापना आदेशों के संदर्भ में विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त शिकायतों पर संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य जबलपुर के प्रतिवेदन एवं आयुक्त जनजातीय कार्यालय की अनुशंसा के आधार पर निम्नानुसार आदेश प्रसारित किया जाता है:-

1. कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य) जिला डिण्डोरी के आदेश क्रमांक 478 दिनांक 17-06-2025 के द्वारा 03 प्राचार्यों (द्वितीय श्रेणी) का जिले के अंदर स्थानांतरण किया गया है। यह आदेश मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2025 के पैरा 5 एवं 6 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार जिला स्तर पर प्रदत्त स्थानांतरण की अधिकारिता के अनुरूप नहीं होने से उक्त स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

2. कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य) जिला डिण्डोरी के आदेश क्रमांक 479 दिनांक 17-06-2025 के द्वारा 12 उच्च माध्यमिक शिक्षकों (द्वितीय श्रेणी) का जिले के अंदर स्थानांतरण किया गया है। यह आदेश मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2025 के पैरा 5 एवं 6 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार जिला स्तर पर प्रदत्त स्थानांतरण की अधिकारिता के अनुरूप नहीं होने से तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

3. कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य) जिला डिण्डोरी के आदेश क्रमांक 604 दिनांक 03-07-2025 से 156 शिक्षकों, आदेश क्रमांक 605 दिनांक 03-07-2025 से 280 शिक्षकों एवं आदेश क्रमांक 606 दिनांक 03-07-2025 से 02 शिक्षकों इस प्रकार कुल 438 शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण पश्चात पदस्थापना की गयी है। इन आदेशों द्वारा की गई कतिपय पदस्थापनाएं मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा शिक्षण संस्थाओं में युक्तियुक्तकरण किये जाने हेतु जारी निर्देश दिनांक 27.08.2024 के अनुरूप नहीं हैं। इन आदेशों से उत्पन्न हो रही वैधानिक कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए उक्त तीन आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाकर मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा शिक्षण संस्थाओं में युक्तियुक्तकरण किये जाने हेतु जारी निर्देश दिनांक 27.08.2024 के अनुरूप पुन: कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता है।

4. कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य) जिला डिण्डोरी के आदेश क्रमांक 740 दिनांक 11-07-2025 के द्वारा 139 छात्रावास अधीक्षकों की पदस्थापना की गई है। इस आदेश द्वारा की गई कतिपय पदस्थापनाएं मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल के छात्रावास अधीक्षक का प्रभार सौंपने संबंधी निर्देश दिनांक 16.03.2015 के अनुरूप नहीं हैं। इस आदेश से उत्पन्न हो रही वैधानिक कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल के छात्रावास अधीक्षक का प्रभार सौंपने संबंधी निर्देश दिनांक 16.03.2015 के अनुरूप पुन: कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता है।

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में विषय के संबंध में प्रचलित विभिन्न याचिकाओं में पारित अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
एवं आदेशानुसार

Digitally signed by
Disha Pranay Nagvanshi
Date: 21-08-2025
12:16:08

(दिशा प्रणय नागवंशी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग

पृ.क्रमांक/1/1/41/0010/2025-ED-ESTB-CTD/E-717340 भोपाल, दिनांक 21/08/2025

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल ।
2. उपसचिव मुख्य सचिव कार्यालय मध्यप्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश शासन।
4. आयुक्त, जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश भोपाल ।
5. आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर, मध्यप्रदेश ।
6. कलेक्टर, जिला डिण्डोरी, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही समय-सीमा में करने का कष्ट करें ।
7. संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण जबलपुर संभाग जबलपुर, मध्यप्रदेश ।
8. सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण डिण्डोरी जिला डिण्डोरी मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग